

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 2017

संख्या 79/एस.टी.-1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2017. — हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 66/एस0टी0-1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2017, दिनांक 3 अगस्त, 2017, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची ख में,—

- (i) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 51 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी तथा 8 अप्रैल, 2011 से रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात्:—

"51क	क्रम संख्या 51 के अंतर्गत कपड़ों की सभी किस्में जिन पर बुनाई और कढ़ाई का काम किया गया है। टिप्पण:— (क) 08 अप्रैल, 2011 से 30 जून, 2017 की अवधि के लिए संगृहीत तथा व्यवहारियों द्वारा भुगतान किया गया कर प्रभारित कर की सीमा तक वापस नहीं होगा। (ख) 08 अप्रैल, 2011 से 30 जून, 2017 की अवधि के दौरान प्रभारित तथा संगृहीत कर किन्तु भुगतान न किया गया हो, तो प्रभारित कर की सीमा तक उद्रगृहणीय तथा वसूलीय होगा।”।
------	---

- (ii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 52 तथा उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा तथा 08 अप्रैल, 2011 से लोप किया गया समझा जाएगा।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**  
**NOTIFICATION**

The 28<sup>th</sup> August, 2017

**No. 79/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2017.** – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web No. 66/ST-1/H.A.6/2003/S.59/2017, dated the 3<sup>rd</sup> August, 2017, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule B appended to the said Act, namely:-

**AMENDMENT**

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule B,-

- (i) under columns 1 and 2, after serial number 51 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted and deemed to have inserted with effect from 8<sup>th</sup> April, 2011, namely:-

“51A	All varieties of textiles covered by item 51 on which knitting and embroidery work has been done.  <b>Note:-</b>  (a) The tax collected and paid by the dealer for the period 8 <sup>th</sup> April, 2011 to the 30 <sup>th</sup> June, 2017 shall not be refunded to the extent of tax charged.  (b) Tax charged and collected during the period 8 <sup>th</sup> April, 2011 to 30 <sup>th</sup> June, 2017 but not paid shall be leviable and recoverable to the extent tax charged.
------	--

- (ii) under columns 1 and 2, serial number 52 and entries thereagainst shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from the 8<sup>th</sup> April, 2011.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,  
Excise and Taxation Department